मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल
–आदेश–

भोपाल, दिनांक 16/04/2024

क्रमांक 1070/एफ 2–6/2019/1–59:: राज्य शासन एतदद्वारा आदेश दिनांक 27.09.2019 द्वारा डॉ. अमित कुमार केवट, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसौद, जिला शिवपुरी को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में शासकीय सेवा प्राप्त करने के अपराधिक कृत्य पर उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने तथा उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई थीं।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में दायर याचिका क्रमांक 21917/2019 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2023 एवं रिट अपील क्रमांक 1488/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2023 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 4283/2023 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 के परिपालन में विभागीय आदेश क्रमांक 382/एफ 2–6/2019/1/59, दिनांक 14.02.2024 द्वारा डॉ. अमित कुमार केवट को **राज्य स्तरीय छानबीन समिति के अंतिम निर्णय के अध्याधीन** आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर रिइंस्टेंट करते हुए अस्थाई रूप से **शासकीय आयुर्वेद औषधालय, सिरसौद, जिला शिवपुरी** में आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया।

3/ विभागीय पत्र दिनांक 30.11.2023 द्वारा डॉ. अमित कुमार केवट द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र की जांच हेतु राज्यस्तरीय छानबीन समिति, भोपाल को भेजा गया। जिसके क्रम में मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग (अनुसूचित जनजाति) संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के प्रकरण क 2370/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 जिसमें डॉ. अमित कुमार केवट को मांझी जनजाति का नहीं माना गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग (अनुसूचित जनजाति) संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के प्रकरण क 2370/2023 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2024 के प्रकाश में डॉ. अमित कुमार केवट, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी को रिइंस्टेंट किये जाने संबंधी विभागीय आदेश क्रमांक 382/एफ 2–6/2019/1/59, दिनांक 14.02.2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/4/24
(रंजना देवड़ा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

क्रमांक 1071/एफ 2–6/2019/1–59

भोपाल, दिनांक 16/04/2024

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव, माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा व आयुष विभाग, म0प्र0
2– महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
3– निज सचिव, प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4– आयुक्त, संचालनालय आयुष, म. प्र. भोपाल।
5– जिला कलेक्टर जिला .... म0प्र0
6– अतिरिक्त महाधिवक्ता , महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर।
7– संभागीय आयुष अधिकारी,संभाग .... म0प्र0
8– जिला आयुष अधिकारी, जिला..म0प्र0
9. कोर्ट संपर्क अधिकार, ग्वालियर।
10– डॉ. ....।
11– आदेश नस्ती।

की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

16/4/24
उप सचिव